

07/07/2024


कोविड - 19 संक्रमण के चलते पत्राकली आज नियत इज्जाती पेशी पर पेश हुई। वकील वादी उपा। वकील वादी के एक प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी प्रकरण को ओर आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ दावा विद्रा भिये जाने की अनुमति प्रदान करें।

वकील वादी का प्रार्थना - पत्र न्याय दित में स्वीकार किया जाकर नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ दाद पेश विद्रा भिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में न्यायालय हाजि शरर पर अ-प

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इतनी स्तर पर D.P. की जाती है। फर्मावली फ़ैसल कुमार होकर नम्बर से उस है तथा बाद लक्ष्मील वापिल फर्माव है। निम्न प्रले न्यायालय में सुनाया गया।


(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खुशेल (सीडर)